

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

आप. प्रक. क.-190 / 2012

संस्थित दिनांक-15.03.2012

फा.नंबर-234503000902012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

---**अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

01.अशोक पिता स्व0 फूलचंद कटरे, उम्र-33 वर्ष,

02.भागरताबाई पति स्व0 फूलचंद कटरे, उम्र-58 वर्ष,

दोनों निवासी ग्राम डोंगरिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट(म.प्र.)

-----**आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 01 / 12 / 2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए तथा धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.05.2008 से दिनांक 19.11.2011 तक स्थान ग्राम डोंगरिया थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी श्रीमती दीपा कटरे के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी दीपा कटरे के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर फरियादी दीपा कटरे से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से 2,00,000/- रुपये एवं कार की मांग की।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया दीपा कटरे ने पुलिस अधीक्षक, बालाघाट को शिकायत दी थी, जिसमें लेख है कि उसका विवाह अशोक कटरे से दिनांक 17.05.2008 को हुआ था। उसके पति के द्वारा उसे कुछ दिन तक अच्छे से रखा गया, उसके पश्चात दहेज की मांग को लेकर अपने परिवार के साथ प्रताड़ित करने लगे एवं प्रार्थिया को तलाक लेने के लिये विवश करने लगे। उक्त शिकायत की जांच एस.डी.ओ.पी. परसवाड़ा को प्राप्त हुई। एस.डी.ओ.पी. परसवाड़ा द्वारा शिकायत जांच उपरांत समक्ष आये तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 22.01.2012 को थाना में पत्र मूल शिकायत प्रेषित किया गया। विवेचना दौरान अशोक कटरे एवं श्रीमती भागरताबाई द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रार्थिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना

उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 10/2012 दिनांक 12.03.12 तैयार किया जाकर विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त ने निर्णय के चरण क्रमांक 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार किया है।

04—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.05.2008 से दिनांक 19.11.2011 तक स्थान ग्राम डोंगरिया थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी श्रीमती दीपा कटरे के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी दीपा कटरे के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

02. उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दीपा कटरे से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से 2,00,000/—रुपये एवं कार की मांग की ?

विचारणीय प्रश्न क.01 एवं 02 की विवेचना तथा निष्कर्ष

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न कं.01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— दीपा कटरे अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी अशोक उसका पति है तथा आरोपी भागरताबाई उसकी सास है। आरोपी अशोक से उसका विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपीगण के साथ निवासरत है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब पांच वर्ष पूर्व आरोपीगण के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उनके विरुद्ध परसवाड़ा थाने में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, मौका-नक्शा प्र.पी.02 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.03 है, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उन्हें उक्त बात बता दी थी। आरोपी मुझसे मारपीट नहीं करता। आरोपीगण द्वारा कभी मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया और ना ही मैंने अपनी माँ तथा भाई को ऐसी कोई बात बताई थी। आरोपीगण द्वारा मुझसे कभी दहेज की मांग नहीं की गई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी,

वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है, आरोपीगण द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं।

06— साक्षी जगन्नाथ अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपी अशोक उसका दामाद है तथा आरोपी भागरताबाई उसकी समधन है। आरोपी अशोक से उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपीगण के साथ निवासरत है और उसने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की। करीब पांच वर्ष पूर्व आरोपीगण के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उनके विरुद्ध परसवाड़ा थाने में शिकायत की थी। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उन्हें उक्त बात बता दी थी। आरोपी उसकी पुत्री से मारपीट नहीं करता है। आरोपीगण द्वारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया गया और ना ही उसने मुझे ऐसी कोई बात बताई थी। आरोपीगण द्वारा उससे कभी दहेज की मांग नहीं की गई। प्रतिपरीक्षण साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पुत्री का आरोपीगण से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है, आरोपीगण द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

07— फरियादी दीपा कटरे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से मौखिक विवाद हुआ था, आरोपीगण ने उसे कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था एवं आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई थी। उसने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है और वह उनके साथ स्वेच्छयापूर्वक निवासरत है तथा वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य साक्षी जगन्नाथ अ.सा.02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण एवं प्रार्थिया के मध्य समझौता हो गया है और वह आरोपीगण के विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी/आहत दीपा कटरे अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

08— फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती दीपा कटरे के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादी दीपा कटरे

को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर फरियादी दीपा कटरे से विवाह के पश्चात परोक्ष रूप से 2,00,000 /— रुपये एवं कार की मांग की। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए तथा धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

09— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी
कीय / विधिक उपर